



4657/1

दूरभाष- 2286709  
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 4219 / 05 / 76 / एक / 2016-17  
सेवा में,

दिनांक : 02/12/16  
नवम्बर 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-सहारनपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	1709000108060424	IFSC Code PUNB0170900	338.099

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	सहारनपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० सहारनपुर	तोता चौक गणेश विहार में भटनागर के मकान से अब्दुल्ला शेर पीर, रोशन लाल के मकान से विपिन शर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	11.019
2	सहारनपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० सहारनपुर	शिवेन्द्र नगर में धर्मपाल के मकान से रावत के मकान, जयप्रकाश के मकान से रश्मि पब्लिक स्कूल व अन्य लिंक गलियों में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	27.941
3	सहारनपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० सहारनपुर	शेखपुरा कदीम रोड पर इन्दिरा कालोनी में शिव मन्दिर से सी०पी०पी०आर०आई० की दीवार तक, महेन्द्र चौहान से राजबाला के मकान तक, केम्ब्रिज स्कूल से सोनू के मकान तक व अन्य लिंक गलियों में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	25.179
4	सहारनपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० सहारनपुर	लक्ष्मीपुरम कालोनी गलीरा रोड में मनोज हेयर ड्रेसर शॉप से जसवन्त के मकान के मकान तक, कमलेश के मकान से अमित के मकान तक एवं सचिन के मकान से संजय के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	36.455
5	सहारनपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० सहारनपुर	न्यू रूप विहार कालोनी में महबूब के मकान से गिरवर के मकान से महीपाल के मकान, मानक के मकान से नीलम के मकान से राजकुमार के मकान व अन्य लिंक गलियों में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	43.168
6	सहारनपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० सहारनपुर	चिलकाना रोड-वर्धमान कालोनी पार्ट-7 में ज्ञान चन्द के मकान से रोबिन गोयल के मकान व अन्य लिंक गली, खुर्शीद के मकान से सतीश के मकान, भारत गैस गोदाम से जंग बहादुर के मकान, बीर सिंह के मकान से यशपाल के मकान तक वाईग्रेटिड इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	38.746



465/2

दस्तावेज- 2286709

2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
7	सहारनपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० सहारनपुर	कौशिक विहार कालोनी में शर्मा जी से राजेश के कॉलेज से कुलदीप सिंह सैनी के मकान तक व एंथेनी के मकान से सुनील के मकान तक व वैधनाथ व अम्बाला रोड से वैध रामनाथ जु०हा० स्कूल तक व अन्य लिंक गलियों में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.267
8	सहारनपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० सहारनपुर	बेहट रोड ग्राम हसनपुर में इन्द्रराज के मकान से विजेन्द्र, मीर सिंह, दयाराम, यशपाल, बलीराम, प्रवीन, सतेन्द्र के मकान होते हुये सत्यपाल के मकान तक, हुकुम सिंह के मकान से आत्माराम के मकान तक, सतीश के मकान से नत्थी के मकान तक, शोभाराम के मकान से शेरू के मकान तक, कामिल के मकान से शहजाद के मकान तक, मुन्तजीर के मकान से जमशेद के मकान तक, शमूद के मकान से हिम्मु के मकान तक एवं अन्य लिंक गलियों में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	41.794
9	सहारनपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० सहारनपुर	गुरुवचन नगर वार्ड नं० 08 में अम्बाला रोड से ब्रिज पाल, गौरव व धनपाल राणा व विजय राणा वाली गली व योगेन्द्र सैनी से सरदार जी वाली गली व योगेन्द्र सैनी से सरदार जी के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	36.149
10	सहारनपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० सहारनपुर	विलकाना रोड-वर्धमान कालोनी में नरेन्द्र जेन के मकान से शिखर सैनी के मकान, जोगेन्द्र पाल पांचाल के मकान से संदीप के मकान, विनय कुमार के मकान से कुलदीप सुनार के मकान, विरेन्द्र प्रजापति के मकान से कमल प्रजापति के मकान, संत वाई के० दास पब्लिक स्कूल से श्याम लाल सैनी के मकान तक वाईब्रेटिड इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	38.381
	योग				338.099

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।



465/13

दस्तावेज - 2286709

2286710

नया योजना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दश में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की रत्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किरत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यकम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर रोल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक